Action against LPG dealers in Uttar Pradesh

*346. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received against LPG dealers in Uttar Pradesh about delayed supply of refilled gas cylinders by the consumers during the last year;

(b) what are the details of action taken by Government against those dealers; and

(c) what preventive measures are proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) During the period April 1, 1988 to January 31, 1989, about 344 complaints were received by the oil companies against LPG distributors of Uttar Pradesh in this regard.

(b) and (c) The complaints received by the oil companies against LPG distributors in this regard are investigated promptly, wherever necessary, and appropriate action, ranging from warning letters to even termination of distributorships in some cases, is taken against the erring LPG distributors in accordance with the Marketing Discipline Guidelines.

दिल्ली में रसोई गैस की नई एजेंसियों का आवंटन

*347 **श्री चतरानन मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में अनेक नई गैस एजेंसियों का आवंटन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा विशेषतया यमुना-पार के क्षेत्रों में कितनी एजेंसियां आवंटित की जायेंगी ; और

(ग) इन नई प्रस्तावित एजेंसियों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये कितनी एजेंसियां आरक्षित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त तेल उद्योग द्वारा 1988-89 तक की अपनी वार्षिक एल पी जी विपणन योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली में 42 और एल पी जी वितरण केन्द्र खोलने की योजना है, जिसमें यमुना पार क्षेत्रों में 7 वितरण केन्द्र शामिल है।

(ग) प्रस्तावित 42 एलपीजी वितरण केन्द्रों में से 7 वितरण केन्द्र "अनुसूचित जाति" श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है।

Public Call Offices in Kerala

*348. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the number of Public Call Offices in Kerala is comparatively small; and

(b) if so, what steps are being taken to provide adequate telephone facilities to the people of that State particularly for the rural areas?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BIR BAHADUR SINGH): (a) and (b) No, Sir. The number of Public Call Offices in Kerala comparatively is not small. There are 2980 public call offices in the State as on 31-1-89. As per the policy of the Department it is planned to provide at least one telecom facility within about 5 km. of every inhabited place in the country. For this purpose hexagons of 5 km. side have been marked all over the country and a principal village preferably a Panchayat Headquarter in, it is earmarked to provide this facility. The objective is to cover all the hexagons progressively in the 8th Five Year Plan. In Kerala there are 536 such inhabited hexagons out of which 531 have been provided with telecom facility which

is a coverage of 99 per cent of hexagons against average all India coverage of 56.4 per cent. The remaining 5 hexagons which fall in remote/hilly area are likely to be covered early in the Eighth Plan.

पोस्टल काउन्टर एजेंसी

*319. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा शिक्षित युवकों के बीच बेरोजगारी को दूर करने के लिये डाक टिकटों तथा रजिस्ट्री करने के लिए कोई "पोस्टल काउन्टर एजेंसी" दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों तक इन एजेंसी को चालू रखने के पश्चात् इसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उसको पुनः आरम्भ करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) और (ख) पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी को ध्यान में रखते हुए डाक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्यों से 1985-86 में लाइसेंस शुदा डाक एजेंटों की योजना चालू की गयी थी । चूंकि, 1987-88 में नये डाकघर खोले जा रहे हैं, अतः डाक एजेंसियों के लिये नये लाइसेंस 13-7-1987 से जारी करने बन्द कर दिये गये हैं ।

(ग) यद्यपि यह योजना पूरी तरह संगोधित होने की संभावना नहीं है, अतः मौजूदा लाइसेंसों की अवधि गुण-दोष के आधार पर बढ़ाई जा सकती है ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने

*350. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने सीमेंट कारखाने कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन कारखानों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी वस्तुओं की सप्लाई हेतु अब तक कितने अनुषंगी उद्योग विकसित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

मध्य प्रदेश राज्य में संगठित क्षेत्र में मौजूदा सीमेंट संयंत्रों की संख्या

	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
बड़े	3	10
छोटे (मिनी)	—	12
	3	22

कुल : 25

(ख) सीमेंट उद्योग मूलतः एक प्रक्रिया उद्योग है जिसे चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला इत्यादि जैसी प्रमुख निविष्टियों की आपूर्ति के लिए सहायक एककों से मदद की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता का संबंध है देश के भीतर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। जहां स्वामित्व वाले उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और इनके आयात के लिए कोई विशेष प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होता है तो इस पर आयात नीति के उपबंधों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। सीमेंट को जूट, सिंथेटिक से बने अथवा दोनों के मिश्रण से बनी बोरियों में पैक किया जाता है । इस प्रकार की बोरियों के निर्माण के लिए देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

Manufacturing packaging machinery and equipment

*351. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether India has emerged as one of the major manufacturers of packaging machinery and equipment in the 3rd world as reported in the Financial Express of 1st March, 1989 and if so, what are details thereof;

(b) whether Prepac and Tetrapak machines developed and used in India